

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 733/MOC-125/संजी/2022

दिनांक : 15-03-2022

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
जनपद-बस्ती।

विषय:-मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के गाटा सं०-1159 के कुल भू-क्षेत्रफल-2016वर्गमी० पर न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-1137(1)/आयुष तिथिक दिनांक 31.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के गाटा सं०-1159 के कुल भू-क्षेत्रफल-2016वर्गमी० न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संदर्भ में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 09.03.2022 को किया गया। संदर्भित पेट्रोल पम्प की स्थापना प्रस्तावित स्थल ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के गाटा सं०-1159 के कुल भू-क्षेत्रफल-2016वर्गमी० पर निम्नलिखित शर्तों को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संसृति की जाती है:-

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये जिससे कि आस-पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जल-माल की व्यापक सुरक्षा के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपाय अग्निरक्षण विभाग के गाइड लाइन के अनुरार स्थापित किया जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. धरतू पर्यावरण से जनित होने वाले बाह्यभाव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकनिट की स्थापना किया जाये।
6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रेषण का निस्तारण न किया जाये।
7. पर्यावरणीय वार्षिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की रणनीति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

17/5/22

Ashish Kumar Sharma

Ashish Kumar Sharma

ब्लॉक रोड, बदायूँ, बस्ती-272001

Web site: www.uppcb.com, e-mail: robasti@uppcb.com

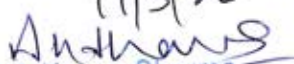
Amputant P... ..

8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रान्स वाउन्ट्री भूवमेन्ट्स), रूल्स 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्डस केमिकल रूल्स, 1989 एवं पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेंस एक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 16किली० पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद, 22किली० पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद एवं 22किली० डीजल ऑयल(एम०एस०डी०)-1अदद, 35किली० डीजल ऑयल(एम०एस०डी०)-1अदद के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
10. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डिकेटर लगाया जाये।
12. डी०जी० सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य श्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में वर्षा जल संवयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये।
16. पेट्रोल पम्प पर वाहनों के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य यातायात बाधित न हो।
17. न्यू रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित डीजल ऑयल एवं पेट्रोल अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज टैंक को डबल वाल्ड टैंक स्थापित किया जाये अथवा स्टोरेज टैंक के चारों तरफ कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जाये।
18. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के 100मीटर दूरी के अन्दर वर्ष में एक बार भूमिगत जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच सी०पी०सी०बी० द्वारा निर्धारित पैरामीटरों की जांच एन०ए०बी०एल० एकीडेटेड प्रयोगशाला से कराया जाये।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रोल पम्प हेतु बनायी गयी गाइड लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन किया जाये।
20. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

भारतीय

(विजय)

क्षेत्रीय अधिकारी

17/5/22

 Ashish Kumar Sharma
 Duly Consulted Attorney
 Hindustan Petroleum Corporation Limited

मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती (एन०एच०-27, बस्ती-लखनऊ राजमार्ग) के गाटा सं०-1159 पर न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या।

प्रभारी अधिकारी(आयुध), कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र सं०-1137(1)/आयुध लिपिक दिनांक 31.03.2021 के अनुपालन में उक्त प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट का स्थलीय निरीक्षण अधीनस्थानी द्वारा दिनांक 09.03.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पेट्रोल पम्प प्रतिनिधि के रूप में श्री अवनीश प्रताप सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. उक्त मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती (एन०एच०-27, बस्ती-लखनऊ राजमार्ग) के गाटा सं०-1159 के कुल भू-क्षेत्रफल-2016वर्गमी० (42 मीटर चौड़ाई x 48 मीटर लम्बाई के आकार में) पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित स्थल के सटे पूरब दिशा में लगभग 150मीटर की दूरी पर सांख्यार सिटी पैलेस रेस्टोरेंट स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 300मीटर की दूरी पर विक्रमजोत बाजार स्थित है। प्रस्तावित स्थल के सटे उत्तर दिशा में लगभग 1.0किमी० की दूरी पर ग्राम-धुसैनिया बाबा स्थित है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण दिशा में बस्ती-लखनऊ राजमार्ग (एन०एच०-27) स्थित है तथापि लगभग 300मी० की दूरी पर ग्राम-शंकरपुर स्थित है।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में जल का प्रयोग केवल धरेलू प्रयोजनार्थ लिया जायेगा। धरेलू प्रयोग से जनित होने वाले बहिष्प्राय के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक व सोकपिट की व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा 2500वी०ए० क्षमता का एक अदद कौनोंपी युक्त डी०जी० सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी०जी० सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप रखा जाना प्रस्तावित है।
5. प्रभारी अधिकारी(आयुध), कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र सं०-1137(1)/आयुध लिपिक दिनांक 31.03.2021 के साथ संलग्नक के रूप में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, एच०पी०सी०एल०, प्रशान्त टावरस (मूलतः), महेवा चुगी, ट्रांसपोर्ट नगर, गौरखपुर द्वारा निर्गत लेटर ऑफ इन्टेन्ट, प्रस्तावित स्थल की खतीनी, स्थल का किरायानामा, एव ले-आउट प्लान आदि प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों की दृष्टिगत रखते हुए उक्त संवर्णित प्रस्तावित ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के गाटा सं०-1159 के कुल भू-क्षेत्रफल-2016वर्गमी० (42 मीटर चौड़ाई x 48 मीटर लम्बाई के आकार में) पर न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तों को अंतर्भूत करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है-

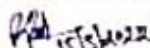
1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये जिससे कि आस-पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपाय अग्निशमन विभाग के गाइड लाइन के अनुसार स्थापित किया जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन लिया जाये।
5. धरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिष्प्राय के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्पन्न का निरंतरता न किया जाये।

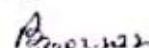
17/5/22
Ashish Kumar Sharma
Only Consulted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

7. पर्यावरणीय दृष्टिकोण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजाईस वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रान्स वाउन्ड्री मूवमेंट्स), सन्स 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुअलर, स्टोरेज एण्ड इन्पोर्ट आफ हैजाईस कॅमिफल सन्स, 1989 एवं पब्लिक लाइबिलिटी इन्वोरेन्स एक्ट, 1991 में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 16 किली० पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद, 22 किली० पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद एवं 22 किली० डीजल ऑयल(एम०एस०डी०)-1अदद, 35 किली० डीजल ऑयल(एम०एस०डी०)-1अदद के मण्डारन हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
10. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकैटर लगाया जाये।
12. डी०जी० रोट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग स्वयं अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइट डिजाइन्ड मैनेजमेंट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में वर्षा जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये।
16. पेट्रोल पम्प पर वाहनों के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य यातायात बाधित न हो।
17. न्यू रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित डीजल ऑयल एवं पेट्रोल अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज टैंक को डबल वाल्ड टैंक स्थापित किया जाये अथवा स्टोरेज टैंक के चारों तरफ कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जाये।
18. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा 100 मीटर दूरी के अन्दर वर्ष में एक बार भूमिगत जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच सी०पी०सी०बी० द्वारा निर्धारित पैरामीटरों की जांच एन०ए०बी०एल० एक्सीटेडेट प्रयोगशाला से कराया जाये।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रोल पम्प हेतु बनायी गयी गाइड लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन किया जाये।
20. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

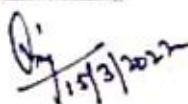
उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अंतिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

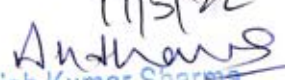

15/3/2022


(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
पैत्रानिक सहायक

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


15/3/2022

17/5/22

Ashish Kumar Sharma
Duly Consulted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited